प्रारूप–2

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा अजमेर।

पत्रांक :–जिशिअ/प्राशि/अज/मान्यता/2013–14 59

दिनांक : 6-8-13

प्रबन्धक,

भँवर लाल गोठी पब्लिक
सी० सै० स्कूल ब्यावर

(अंग्रेजी)

विषय :–निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवाय़ बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके दिनांक..................के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिदेश से मैं भँवर लाल गोठी पब्लिक सी० सै० स्कूल ब्यावर (विद्यालय का नाम पते सहित) को दिनांक 01.07.2013. से दिनांक 30.06.2016 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा I से कक्षा V तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूं। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन है:–

1 मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा–8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2 विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।

3 विद्यालय कक्षा 1 में उस कक्षा के बालकों की संख्या के.......प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गों और अलाभप्रद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

4 पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा–12 (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक् बैंक खाता रखेगा।

5 सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, अजमेर

SECRETARY
Bhanwarlal Gothi Public Sr. Sec. School
BEAWAR-305901 (Raj.)

Dr. Aksha
PRINCIPAL
Bhanwarlal Gothi Public Sr.Sec. School
BEAWAR-305901 (Raj.)

Scanned with OKEN Scanner

6 विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है।

7 विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि :–

(i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।?

(II) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

(III) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीण्झ करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(IV) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम–23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।

(V) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जाना।

(VI) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(VII) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है, और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

8 विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

9 विद्यालय अधिनियम की धारा–19 में अधिकथित, विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन करेगा।

10 विद्यालय अधिनियम की धारा–19 में यथानिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :–

विद्यालय परिसर का क्षेत्र
कुल निर्मित क्षेत्र
क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल
कक्षा कमरों की संख्या
प्रधानाध्यापक सह कार्यालय सह–भंडार कक्ष
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
पेयजल सुविधा
मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई, बाधा रहित पहुंच
अध्यापक पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता

SECRETARY
Bhanwarlal Gothi Public Sr. Sec. School
BEAWAR-305901 (Raj.)

Dr. A K S
PRINCIPAL
B warlal Gothi Public Sr. Sec. School
BEAWAR-305901 (Raj.)

Scanned with OKEN Scanner

IPIN CHANDRA SHARMA
IAS
Additional Chief Secretary
विपिन चन्द्र शर्मा, आई.ए.एस
अतिरिक्त मुख्य सचिव

Minority Affairs and Waqf Board
SSO Building, Secretariate, Jaipur (Raj.)
Ph : 0141-2227635, 2222844 (fax)
E-mail : vc.sharma@nic.in
अल्पसंख्यक मामलात् विभाग एवं वक्फ बोर्ड
एस.एस.ओ. बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर
फोन नं. : 0141-2227635, फैक्स : 2222844

सत्यमेव जयते

No. ACSMA/2015/10692
Jaipur Dated 03.11.2015
04

Minority Status Certificate

On consideration of the documentary evidence produced before the Competent Authority, the Competent Authority is satisfied that Bhanwar Lal Gothi Public Senior Secondary School, Beawar, Near Krishna Colony, Nehru Gate, Beawar, Ajmer managed by the Shri Vardhman Shikshan Samiti, Beawar, Ajmer is a Minority Educational Institution within the meaning of Section 2(g) of the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004 read with the Order issued by the Government of Rajasthan No. F.4(1) Maw/2013/5141, dated 15.04.2013.

Consequently, it is hereby declared that the aforesaid School is a Minority Educational Institution covered under Article 30 of the Constitution of India.

The Institution shall comply with all the Rules and Regulations issued in this regard and display all necessary information in Public Interest on its website.

Given under my hand and the seal of the Competent Authority on this 3rd November 2015.

(VIPIN CHANDRA SHARMA)
Additional Chief Secretary to Government
Department of Minority Affairs and Waqf Board

SECRETARY
Bhanwarlal Gothi Public Sr. Sec. School
BEAWAR-305901 (Raj.)

Dr AR S
PRINCIPAL
Bhanwarlal Gothi Public Sr.Sec. School
BEAWAR-305901 (Raj.)

Scanned with OKEN Scanner